

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

01.02.2023

30.01.2024

उनवान

प्रकरण संख्या
01/2023

श्रीमती नन्दू पत्नी श्री किशन लाल जाति शर्मा, आयु वयस्क, निवासी कालसांस, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

-प्रार्थीया

बनाम

श्री गिरधारी पिता श्री सवाईराम रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री घीसा पिता श्री सवाईराम रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री देवी पिता श्री उगमा रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री बालु पिता श्री प्रताप रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्रीमती बाली पत्नी श्री उगमा रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री भैरू पिता उगमा रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री रामलाल पिता नन्दा रेगर आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री सवाईराम पिता श्री भोजा रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री हीरा पुत्र श्री नाथू रेगर, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री रुकमा पिता श्री हजारी बैरवा, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री किशन लाल पिता श्री अमर लाल बैरवा, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री प्रहलाद पिता श्री काना बैरवा, आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री नन्दराम पिता श्री काना बैरवा आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 32 की अभिलिखित आराजियात 1170 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0369 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 32 की अभिलिखित आराजियात 1170 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0369 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जारी जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आम्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

जयपुरा 33 अधिष्ठाता
भीलवाडा